भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1057
दिनांक 25.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों के लिए हेल्पलाइन

1057. **श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों, विशेषकर गुजरात के कामगारों के लिए कितनी हेल्पलाइनें और शिकायत निवारण तंत्र हैं;

(ख) क्या हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान या सऊदी अरब के साथ श्रम कल्याण पर कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रवासी कामगारों के लिए स्थानीय भाषा में कानूनी सहायता या कांसुलर सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) और **(ग)** भारत सरकार खाड़ी देशों सहित विदेशों में भारतीय कामगारों की सुरक्षा, संरक्षण और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने विदेशों में भारतीय कामगारों, जिनमें गुजरात राज्य के कामगार भी शामिल हैं, को किसी भी सहायता की

आवश्यकता होने पर भारतीय मिशनों से संपर्क करने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न तंत्र स्थापित किए हैं। भारतीय कामगार विभिन्न चैनलों के जैसे वॉक-इन, ईमेल, सोशल मीडिया, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों और मदद, सीपीजीआरएएमएस आदि जैसे शिकायत निवारण पोर्टलों के माध्यम से मिशनों/केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशों में भारतीय मिशनों/केंद्रों ने टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर स्थापित किए हैं और संकट या आपातकालीन स्थिति में भारतीय नागरिकों को संबंधित भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं।

खाड़ी देशों में स्थित मिशनों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं को भोजन, आवास, चिकित्सा उपचार और उनके स्वदेश वापसी की व्यवस्था करके सहायता प्रदान करने के प्रावधान हैं। जो महिला कर्मचारी फंसी हुई हैं या संकट में हैं, वे दिन के किसी भी समय दूतावासों से संपर्क कर सकती हैं और उन्हें भारत वापस लौटने तक सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा, संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को सहायता, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए नई दिल्ली और दुबई (यूएई), रियाद और जेद्दा (सऊदी अरब) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास एवं प्रशिक्षण (पीडीओटी) जैसी कई पहल की हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी कामगार सुरक्षित प्रवास करें, गंतव्य देशों में उन्हें अच्छे कार्य और रहने की स्थिति मिले और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों तथा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच हो।

इसके अलावा, महिला कामगारों, विशेष रूप से ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारकों (घरेलू क्षेत्र के कामगारों सहित) की संरक्षा और सुरक्षा हेतु अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में, सरकार ने केवल राज्य द्वारा संचालित भर्ती एजेंसियों (आरए) को ई-माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से खाड़ी और अन्य ईसीआर अधिसूचित देशों में विदेशी रोज़गार के लिए भारतीय महिला ईसीआर श्रेणी के कामगारों की भर्ती करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अलावा, शोषण से सुरक्षा के लिए, विदेशी रोज़गार हेतु ईसीआर श्रेणी के पासपोर्ट धारक महिला कामगारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।

मिशन/केंद्र समय-समय पर भारतीय समुदाय कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग विदेश में संकटग्रस्त भारतीय नागरिकों को साधन-परीक्षण के आधार पर वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए करते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के अंतर्गत, मुख्य सहायता में भोजन और आवास, भारत के लिए हवाई यात्रा, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, पार्थिव शरीर को भारत लाना, और छोटे-मोटे जुर्माने और दंड का भुगतान शामिल है।

(ख) संयुक्त अरब अमीरात (2018), ओमान (2008) और सऊदी अरब (2016) सहित खाड़ी देशों के साथ श्रम और जनशक्ति सहयोग करार लागू हैं। इन समझौता ज्ञापनों और करारों को एक संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने का प्रावधान है, जहाँ संबंधित देशों के साथ नियमित बैठकों के दौरान श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार किया जाता है।

*****